G.C.M.S. No. - 2020/00361

Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

नन्दलाल बनाम **मदनलाल वगैराह**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** नं0 **022** सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 OCT 2021	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय आप द्वारा दिनांक 25.08.2020 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज करने का निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है क्योकि प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा उक्त अपील में दिनाक 03.03.2020 को लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी थी जिसकी प्रति रेस्पोडेंट को उसी दिन उपलब्ध करा दी गई एवं रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने मौखिक बहस हेतु अवसर चाहा गया था जबकि प्रार्थीगण/अपीलांट का उक्त अपील में अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुके थे एवं न्यायालय श्रीमान को मेरीट पर निर्णय पारित करना था जो नहीं कर विधि अन्तर्गत प्रत्यक्ष त्रुटि कर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जिसको पुनरावलोकन कर मेरीट पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। उक्त अपील की फद अहकाम दिनांक 03.03.2020 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली में अपीलांट/प्रार्थीगण ने अपना पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत कर पुर्ण कर दिया था जिसमें अपीलांट की उपस्थिती आवश्यक नही थी एवं माननीय न्यायालय को मेरीट पर निर्णय पारित करना था जो नही कर अदम हाजरी अदम पैरवी में उक्त अपील का निर्णय पारित कर विधि अन्तर्गत चुक की है जिसको पुनरावलोकन कर मेरीट पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मूल अपील को न्यायालय आप द्वारा अदम हाजरी मे दिनांक 25.08.2020 को खारिज करना सही लिखा है व विधि अनूसार सही खारीज किया है अगर कोई भी प्रकार का अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो जाता है तो उसके लिये रेस्टोरेशन हेतु जा0दी0 मे अलग प्रावधान बने हुए है उन प्रावधानों में यह प्रार्थनापत्र नही देकर पूनर्विलोकन हेतु आवेदन पेश किया है जो चलने योग्य नही है। अपीलांट द्वारा लिखित बहस देने मात्र से उपस्थित होने पर रोक नहीं हो जाती है। बल्कि पक्षकारान के अपने प्रकरण के प्रति पूरी सजगता व तत्परता रखना होती है तथा लिखित बहस के अलावा मौखिक बहस भी करना जरूरी होता है जिसमे प्रार्थीगण या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य है और अगर पेशी के वक्त नही हाजिर हो तो अदम हाजरी मे खारिज करने का प्रावधान है और अपील के अदम हाजरी खारिज किया है उसके लिए पुनर्विलोकन का प्रावधान (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं है न इस कारण से खारिज अपील के पुनर्विलोकन किया जा सकता है। न्यायालय आप द्वारा प्रदत आदेश अपील योग्य है तो भी प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश नही की है, न रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता हैं। अपील पर बहस किये बिना मेरीट्स पर फैसला करने का प्रावधान जा0दी0 में नहीं है बल्कि जा0दी0 में अलग से अपील रेस्टोरेशन के प्रावधान बने है उस प्रावधान में आवेदन पेश किये बिना यह पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा किसी भी अपील के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तो जा0दी0 में वर्णित प्रावधान ओर्डर 41 नियम 19 में वर्णित है तो भी प्रार्थीगण ने उन प्रावधान के तहत अपील रेस्टोरेशन का प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया है जो प्रावधान के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा पुनर्विलोकन (रिव्यू) हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो गलत है जबकि पुनर्विलोकन रिव्यू केवल और केवल मेरीटस पर निर्णय या डिक्री जावे और उसमें कोई त्रुटि रह जावे तो ही लागू होता है जिससे भी प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। न्यायालय द्वारा अदम हाजरी का आदेश दिनांक 25.08.2020 को किया और यह प्रार्थनापत्र तारीख 13.10.2020 को पेश किया है याने आदेश से करीब 2 माह मयाद बाहर पेश किया है, तथा पूरे प्रार्थनापत्र मे विलम्ब से पेश करने का कोई प्रार्थनापत्र या देरी होने का कारण नहीं लिखा है जिससे भी प्रार्थनापत्र मयाद बाहर पेश होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय अपील योग्य है किन्तु इसकी प्रार्थीगण को कोई अपील प्रस्तुत नही की है जिससे उक्त निर्णय पुनरावलोकन योग्य है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार अपील का निर्णय मेरीट पर ही किया जाना सही है। अदम हाजरी अदम पैरवी वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र को निर्णित करने के प्रावधान है जिससे भी आप न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज करने का निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर पुनरावलोकन योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा उपरोक्त अपील में अपना पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत करते ही पुर्ण हो चुका था एवं निर्णय मेरीट पर पारित किया जाना था जो नही कर विधि अन्तर्गत भारी चुक की गयी जिससे न्याय हित में उक्त अपील को पुन संस्थित कर मेरीट पर निर्णय पारित किया जाना विधि अन्तर्गत आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र पुनरावलोकन स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील का मेरीट पर पुनः निर्णय पारित फरमाया जावे । इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 06 OCT 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। मूल अपील प्ररकण संख्या 01/2019 अनवानी नन्दलाल बनाम मदनलाल वगैराह न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.08.2020 से अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाहिर होता है। मूल अपील की आदेशिकाओं के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 03.03.2020 को लिखित बहस पत्रावली में प्रस्तुत की गई जो कि रिकार्ड पर है। न्यायालय आदेश दिनांक 25.08.2020 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट के हाजिर नहीं आने से अपील अपीलांट व्यतिक्रम से आदेश 41 नियम 17 के तहत खारीज की गई है। इस उप नियम की बात का यह अर्थ नहीं लगया जा सकता है कि न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर खारीज करने के लिये सशक्त करता है। आदेश 41 नियम 17 के तहत व्यतिक्रम में खारीज अपील को पुनः संस्थित किये जाने के संबंध में प्रावधान आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 में प्रावधित है। प्रार्थीगण के ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन के अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 में सपठित धारा 229 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जहॉ तक आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 के संबंध का तथ्य हो तो प्रार्थीगण द्वारा स्वयं इस संबंध में तथ्य किया गया है कि आदेश दिनांक 25.08.2020 की प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं है ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 25.08.2020 के संबंध में पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229(2) न्यायालय हाजा को इस बाबत सशक्त करती है कि न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री, आदेश या निर्णय की समीक्षा करने के लिए सक्षम है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये इस तथ्य बाबत विधि एवं क्षेत्राधिकारिता का उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही मूल अपील के संबंध में उभयपक्ष द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मूल अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं होकर व्यतिवम में हुआ है। ऐसी स्थिति मूल अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन(रिव्यू) को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 001/2019 (रेवेन्यू अपील) अनवानी नन्दलाल बनाम मदनलाल वगैराह में आदेश दिनांक 25.08.2020 को सेट-असाईड किया जाकर पुनः अपील प्रकरण संख्या 001/2019 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (तारा चन्द मीणा) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 06 OCT 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official